2017/00427

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री रेवन्तराम पुत्र मेघाराम बुधरों की ढाणी निवासी आदर्श राजस्थान पब्लिक उ.मा. स्कूल करणी राजपूत छात्रावास के पास वार्ड नं. 35 नोखा जिला बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 239/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी से आवेदन–पत्र दिनांक 07.6.17 में वर्णित सूचना चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार फरमाई जा कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 1666 दिनांक 17.10.17 में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन–पत्र के संबंध में डाक प्राप्ति कम्प्युटर शाखा से रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई आवेदन–पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्युत्तर की प्रति अपीलार्थी को जरिये डाक भिजवाई जाचुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। अपीलार्थी चाहे तो नये सिरे से आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

[signature]

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर